



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230026
CG-DL-E-29092021-230026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3660]
No. 3660]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3994(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 60 तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 25 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : गारलादीने		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गारलादीने	मोरताडू	72/2	00	10
2			70/8	00	04
3			69/4	00	01
4			68/6	00	01
5			58/1A	00	30
6			56/2A	00	01
7			19/1	00	02
8	गारलादीने	गारलादीने	348/1	00	11
9			344	00	02
10	गारलादीने	बुदेडू	109	00	07
11	गारलादीने	मुंतिमाडुगु	116/3	00	02
12			113/1A	00	05
13			106/25	00	01
14			66	00	02
मंडल : कल्याणदुर्गम		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कल्याणदुर्गम	वारला	182	00	01
2	कल्याणदुर्गम	मुदिनयानीपल्ली	208	00	03
3			457/2	00	01
4			244/3	00	01
5			188/1	00	01
6			187/6	00	03
7	कल्याणदुर्गम	मुदिनयानीपल्ली	169/2	00	05
8			271/2	00	01
9			147/6	00	01
10			147/5	00	25
11			576/2	00	02
12	कल्याणदुर्गम	मनीरिवु	432	00	05
मंडल : कुडेरु		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुडेरु	थीम्मापुरम	259	00	01
2			62	00	01
3	कुडेरु	कुडेरु	139/3	00	01
4			292/3	00	04
5			332/2	00	06
6			324/1A	00	08
7			515	00	01
8			530/1	00	01
9			540/2B	00	01
10			539	00	04
11	कुडेरु	कामुरु	207	00	01
12			215/1	00	03
13			235	00	01
14			248	00	01
15			249/2	00	01

16			267/3	00	02
17			266/2	00	09
18			279	00	02
19	कुडेरु	कामुरु	281	00	01
20	कुडेरु	गोटुकुरु	163/2B	00	23
मंडल : आत्माकूरु		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आत्माकूरु	पदमातीयालेरु	407	00	01
2			408/1	00	01
3			320/1	00	01
4			320/2	00	01
5			208/2	00	02
6			210/1C	00	01
7			210/2D	00	01
8			209	00	01
9			227/2D	00	01

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3994(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.62 (E) dated 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.60 dated the 02th January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 25 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Garladinne		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Garladinne	Marthadu	72/2	00	10
2			70/8	00	04
3			69/4	00	01
4			68/6	00	01
5			58/1A	00	30
6			56/2A	00	01
7			19/1	00	02
8	Garladinne	Garladinne	348/1	00	11
9			344	00	02
10	Garladinne	Budedu	109	00	07
11	Garladinne	Muntimadugu	116/3	00	02
12			113/1A	00	05
13			106/25	00	01
14			66	00	02
Mandal: Kalyandurgam		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalyandurgam	Varla	182	00	01
2	Kalyandurgam	Muddinayanipalli	208	00	03
3			457/2	00	01

4			244/3	00	01
5			188/1	00	01
6	Kalyandurgam	Muddinayanipalli	187/6	00	03
7			169/2	00	05
8			271/2	00	01
9			147/6	00	01
10			147/5	00	25
11			576/2	00	02
12	Kalyandurgam	Manirevu	432	00	05
Mandal: Kudair		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kudair	Thimmapuram	259	00	01
2			62	00	01
3	Kudair	Kudair	139/3	00	01
4			292/3	00	04
5			332/2	00	06
6			324/1A	00	08
7			515	00	01
8			530/1	00	01
9			540/2B	00	01
10			539	00	04
11	Kudair	Kammuru	207	00	01
12			215/1	00	03
13	Kudair	Kammuru	235	00	01
14			248	00	01
15			249/2	00	01
16			267/3	00	02
17			266/2	00	09
18	Kudair	Kammuru	279	00	02
19			281	00	01

20	Kudair	Gotukur	163/2B	00	23
Mandal: Atmakur		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Atmakur	Padamatiyaluru	407	00	01
2			408/1	00	01
3			320/1	00	01
4			320/2	00	01
5			208/2	00	02
6			210/1C	00	01
7			210/2D	00	01
8			209	00	01
9			227/2D	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.